

छत्तीसगढ़ आयुष्मान योजना के तहत राशि बढ़ाएगा

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार आगामी महीनों में सभी गैर-APL (गरीबी रेखा से ऊपर) कार्ड धारकों के लिये [आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री- जन आरोग्य योजना](#) के तहत उपचार सीमा को मौजूदा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की योजना बना रही है।

मुख्य बंदि:

- इस योजना के अंतर्गत लगभग 55 लाख [गरीबी रेखा से नीचे \(Below Poverty Level- BPL\)](#) के परिवार और लगभग 8 लाख (APL) परिवार लाभान्वित होंगे
 - अस्पतालों में [जटिल चिकित्सा स्थितियों के लिये विशेष देखभाल](#) की आवश्यकता वाले लोगों को भी लाभ मल्लगा।
- स्वास्थ्य वंभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत **35.41 लाख लोगों ने लाभ उठाया।**

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना

- **परचिय:**
 - PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वतितपोषति वंशिव की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
 - **2018 में लॉन्च** की गई यह योजना द्वततीयक और तृतीयक देखभाल के लिये **प्रतिपरिवार 5 लाख रुपए** की बीमा राशि प्रदान करती है।
 - स्वास्थ्य लाभ **पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं एवं नदिन** की लागत शामिल है।
- **लाभार्थी:**
 - यह एक पात्रता-आधारित योजना है, जो नवीनतम [सामाजिक-आर्थिक जात जिनगणना \(Socio-Economic Caste Census- SECC\), 2011 के आँकड़ों](#) द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षति करती है।
 - [राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधकिरण \(National Health Authority- NHA\)](#) ने राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों को बचे हुए (अप्रमाणति) SECC परिवारों के खलिफ टैगिंग के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जातजिनगणना (SECC) लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने के लिये लचीलापन प्रदान किया है।
- **वतितपोषण:**
 - इस योजना के लिये वतितपोषण **60:40 के अनुपात में सभी राज्यों और वंधिनमंडल वाले केंद्रशासति प्रदेशों** के लिये, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के लिये 90:10 के अनुपात में वं बनि वंधिनमंडल वाले केंद्रशासति प्रदेशों के लिये 100% केंद्रीय वतित पोषण के साथ साझा किया जाता है।
- **नोडल एजेंसी:**
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधकिरण (National Health Authority- NHA) का गठन राज्य सरकारों के साथ मलिकर PM-JAY के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये [सोसायटी पंजीकरण अधनियम, 1860](#) के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में किया गया है।
 - राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (State Health Agency- SHA) राज्य सरकार का सर्वोच्च निकाय है जो राज्य में ABPM-JAY के कार्यान्वयन के लिये ज़मिमेदार है।